दिनांक 01.08.2016 को अपराह्न 4.00 बजे मुख्य सचिव, झारखण्ड की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति की आहूत बैठक की कार्यवाहीः–

उपस्थितिः–सूची संलग्न।

मुख्य सचिव,झारखण्ड द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए कार्रवाई शुरू करने का निदेश दिया गया।

सचिव,उद्योग,खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा सिंगल विण्डों क्लीयरेन्स समिति की अनुशंसा प्राप्त दो प्रस्ताव 1. मेसर्स ए0सी0सी0 लिमिटेड एवं 2. मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड पर बिन्दुवार चर्चा क्रमशः निम्नवत्त किये गयेः–

1.मेसर्स ए0सी0सी0 लिमिटेड–

मेसर्स ए0सी0सी0 लिमिटेड द्वारा सिन्दरी सीमेन्ट प्लान्ट का विस्तार हेतु एम0ओ0यू0 के लिए प्राप्त प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः–

क्र0	विवरणी	प्रस्ताव
1	इकाई का नाम	सर्वश्री ए0सी0सी0 लिमिटेड
2	प्रस्तावित स्थल	सिन्दरी, धनबाद
3	उत्पादित पदार्थ	सीमेन्ट
4	कार्यरत क्षमता	10.00 लाख टन प्रति वर्ष
5	प्रस्तावित विस्तारित क्षमता	13.00 लाख टन प्रति वर्ष
6	प्रस्तावित निवेश	रू0 731 करोड़
7	अतिरिक्त नियोजन	100
8	प्रस्तावित उत्पादन वर्ष	2016.17

2.मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड–

मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड, बांगुर नगर, बेवार, राजस्थान से प्रथम चरण के एम0ओ0यू0 हेतु प्राप्त प्रस्ताव निम्न प्रकार हैः–

क्र0	विवरणी	प्रस्ताव
1	इकाई का नाम	**मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड–**
2	प्रस्तावित स्थल	सरायकेला–खरसावाँ
3	उत्पादित पदार्थ	सीमेन्ट
4	प्रस्तावित क्षमता	4.0 मिलियन टन प्रति वर्ष
5	प्रस्तावित निवेश	रू0 600 करोड़
6	नियोजन	300
7	प्रस्तावित उत्पादन वर्ष	एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर होने के 2 वर्ष के बाद

झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स विधयेक–2015 के द्वारा औद्योगिक नीति के तहत वृहत उद्योगों की स्थापना हेतु दिनांक 18.07.2016 को सचिव, उद्योग, खान एवं

भूतत्व विभाग की अध्यक्षता में सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स कमिटि की बैठक में समिति द्वारा प्रथम चरण हेतु एम0ओ0यू0 की अनुशंसा के उपरान्त दिनांक 20.07.2016 को हैदराबाद में मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड तथा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,झारखण्ड सरकार के बीच एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर किया गया। झारखण्ड सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स विधेयक 2015 की कंडिका 17(2) के अनुसार वृहत उद्योगों के निमित समझौता ज्ञापन(एम0ओ0यू0) पर सिंगल विण्डो क्लीयरेन्स कमिटि के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी (अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग) उच्च शक्ति प्राप्त समिति के पूर्वानुमति के पश्चात हस्ताक्षर करने का प्रावधान है।

समिति द्वारा विचारोपरांत सर्वश्री ए0सी0सी0 लिमिटेड के साथ प्रथम चरण का एम0ओ0यू0 हस्ताक्षर करने तथा दिनांक 20.07.2016 को हैदराबाद में मेसर्स श्री सीमेन्ट लिमिटेड तथा उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग,झारखण्ड सरकार के बीच हस्ताक्षरित एम0ओ0यू0 के क्रम में घटनोत्तर स्वीकृति की अनुशंसा की गई।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

ह0/–
मुख्य सचिव
झारखण्ड,राँची

ज्ञापांक 2820 /राँची, दिनांक 29/08/2016
05/उ0नि0(सीमेन्ट प्लान्ट/MoU)–13/2016

प्रतिलिपि–विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, योजना सह वित्त, विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक उद्योग
झारखण्ड, राँची

Manoj.s.2016